

मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-20/2016/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक 01 नवम्बर 2016

प्रति,

उपाध्यक्ष,

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,

नर्मदा भवन, भोपाल।

विषय- चोंडी जामनिया उद्वहन माइको सिंचाई परियोजना जिला खरगोन की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रं 139/55.05/27/न0नि0म0/16, दि0 01.11.2016.

-00-

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 55 वीं बैठक दिनांक 29.10.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा चोंडी जामनिया उद्वहन माइको सिंचाई परियोजना सिंचाई क्षमता 4,000 हेक्टेयर हेतु राशि रुपये 68.36 करोड़ (रुपये अड़सठ करोड़ छत्तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रजनीश वैश)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

क्रमांक एफ 31-20/2016/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक 01 नवम्बर 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 4. सदस्य (अभियांत्रिकी)/(वित्त), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
 5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
 6. महालेखाकार भोपाल/ग्यालियर, मध्यप्रदेश।
 7. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
 8. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद।
 9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित।
 10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
 11. आर्डर बुक।
- की ओर सूझनार्थ एतद् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग